धूप–छॉव खुला आश्रय गृह

वार्षिक प्रगति विवरण

अप्रैल 2014 से मार्च 2015

पृष्ठभूमिः

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के अन्तर्गत डॉ. शम्भुनाथ सिंह रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के सहयोग से संचालित **धूप–छॉव खुला आश्रय गृह** एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में खुले आश्रय, देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों विशेषतया भिक्षुकों, घूमन्तू तथा रेलवे स्टेशनों व बस अड्डो पर कामकाजी बच्चों जो कि पानी की बोतल बीनने, चाय बेचने, ट्रेनों में झाडू लगाने, कूड़ा बीनने तथा घूम–घूमकर तमाशा दिखाने का कार्य करते है, अनाथ बच्चों, परित्यक्त बच्चों, अवैध व्यापार में लगाए गए तथा भागे हुए बच्चों, प्रवासी परिवारों के बच्चों या किसी अन्य संवेदी समूह के जरूरतमंद बच्चों को उचित मार्गदर्शन, परामर्श, आवासीय सुविधा, भोजन, स्वास्थ्य सेवा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जाता है।

उद्देश्यः

इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के उपरोक्त लक्षित समूहों को उनकी वर्तमान संवेदनशील जीवन स्थिति से एक सुरक्षित माहौल की ओर आकृष्ट करना है। कार्यक्रम के विस्तृत उद्देश्य निम्नवत् है–

1. सतत् हस्तक्षेपों द्वारा इन बच्चों को संवेदी स्थितियों से दूर ले जाना।
2. इन बच्चों को उच्च जोखिम तथा सामाजिक रूप से विपथनकारी व्यवहारों से हटने के लिए मार्गदर्शित करना।
3. शिक्षा के लिए अवसरों की व्यवस्था करना तथा उनकी क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करना।
4. उनके जीवन कौशलों को बढ़ाना तथा शोषण के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करना।
5. इन बच्चों को परिवारों, वैकल्पिक देखभाल तथा समुदाय में पुनः एकीकृत करना।
6. यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अनुवर्तन करना की बच्चे संवेदी स्थितियों में वापस न लौटे।

कार्यक्रम तथा गतिविधियॉ

कार्यक्रम के निष्पादन के लिए संस्था द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है–

1. **आउटरीचः**

   इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी कैण्ट रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डे के अतिरिक्त आस–पास के तीन मलिन बस्तियों क्रमशः खरबूजा शहीद, गड़हिया तथा अम्बेडकर नगर (ढेलवरिया) को शामिल किया गया है। जहॉ से अधिकांश बच्चे रेलवे स्टेशन, रोडवेज तथा आस–पास के बाजारों में भॉति–भॉति के कार्य करते है। संस्था के तीन आउटरीच वर्कर नियमित रूप से उक्त क्षेत्रों में जाकर ऐसे बच्चों को चिन्हित करते है और उन्हें अपने साथ खुला आश्रय गृह में आने के लिए प्रेरित करते है। साथ ही आस–पास के दुकानदारों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स को भी संवेदित करते है कि यदि कोई भी बच्चा विपरीत परिस्थितियों में दिखाई पड़े, तो उसे तत्काल संस्था के कार्यकर्ताओं को सूचित करें।

2. **काउन्सलिंगः**

आउटरीच वकर्स द्वारा चिन्हित बच्चों को धूप–छॉव खुला आश्रय गृह में लाकर सर्वप्रथम सोशल वर्कर द्वारा उनकी काउन्सलिंग की जाती है। जिसमें बच्चों तथा उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की विस्तृत जानकारी लेने के उपरान्त उनके समायोजन की कार्ययोजना तैयार की जाती है और तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाती है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक कुल 168 बच्चों की काउन्सलिंग की गई।

3. **आश्रयः**

कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित खुला आश्रय गृह में 10 से 18 वर्ष के 25 बालकों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है। जहॉ कामकाजी बच्चें अपने काम से निवृत्त होने के उपरान्त आकर दैनिक नित्यक्रिया, स्नानादि, कपड़े धुलाई तथा विश्राम करते है। यहॉ बच्चों के लिए लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें वे अपने कपड़े तथा व्यावसायिक उपयोग की अन्य वस्तुएॅ लॉक करके रखते है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक कुल 290 बच्चों को आश्रय मिला है।

4. **भोजनः**

कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल बच्चों को उनकी रूचि के आधार पर तैयार भोजन तालिका के अनुसार प्रातः नाश्ता, मध्यान्ह भोजन, सायं चाय–स्नैक्स उपलब्ध कराया जाता है। रात्रि विश्राम करने वाले बच्चों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक कुल 270 बच्चों ने भोजन ग्रहण किया।

5. **स्वास्थ्य सुविधॉः**

कार्यक्रम में शामिल बच्चों के लिए नियमित रूप से मासिक स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया जाता है। आकस्मिक चिकित्सकीय आवश्यकता हेतु गृह में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। गम्भीर परिस्थितियों के लिए बच्चों को राजकीय मण्डलीय चिकित्सालय, कबीरचौरा एवं आस–पास के चिकित्सकों के पास सन्दर्भित किया जाता है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक कुल 231 बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएॅ प्राप्त किए।

6. **शैक्षणिक गतिविधियॉः**

कार्यक्रम में शामिल कभी स्कूल न जाने वाले एवं शालात्यागी बच्चों को रूचिकर ऑडियो–विजुअल एवं खेल–खेल में शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब तक ऐसे 8 बच्चों को उनके नजदीकी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला करवाकर उनका निरन्तर फॉलोअप किया जा रहा है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 160 बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल हुए।

7. **खेल–कूद एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियॉः**

बच्चों को शिक्षा व खेलों में रूचि बनाए रखने के लिए इनडोर एवं आउटडोर खेलों की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत बच्चों को लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, चायनीज चेकर, बैंकर्स, ब्लाक, पजल्स जैसी खेल सामग्रियॉ उपलब्ध कराई गई है। वहीं दूसरी ओर आश्रय गृह के सामने स्थित मैदान में खेलने के लिए क्रिकेट किट फुटबॉल एवं बॉलीबाल भी दिया गया है।

इसके अलावा होम में 24x7 केबल सुविधा युक्त टी.वी. एवं विडियो गेम भी उपलब्ध कराया गया है जिसका आनन्द बच्चों द्वारा उठाया जाता है। बच्चों को प्रख्यात थिएटर निर्देशक श्री वाल्टर पीटर द्वारा थिएटर ट्रेनिंग के माध्यम से नाटक भी तैयार करवाया गया। इसके अतिरिक्त हैण्डिक्राफ्ट आर्टिस्ट द्वारा पेन्टिग, कागज के फूल, कामिक्स आदि बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया।

8. **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

कार्यक्रम में शामिल बच्चों के लिए उनकी योग्यता, क्षमता एवं रूचि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा मोबाइल व टी.वी./रेडियों रिपेयरिंग, हेयर कटिंग, फोटो फ्रेमिंग, मोमबत्ती बनाना आदि का आयोजन किया गया। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक कुल 149 बच्चों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग लिया।

कुछ किशोरों को प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए चिन्हित कर उनका नाम जिला नगरीय विकास अभिकरण को भेजा गया है। जिनका प्रशिक्षण शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है।

9. **स्टेकहोल्डर्स का संवेदीकरणः**

दिल्ली उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप वाराणसी कैण्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के गठन का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त आर.पी.एफ., जी.आर.पी., रेलवे स्टाफ, कुली, सी.टी.एस. स्टाफ, रोडवेज कर्मियों, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों, स्थानीय ए.एन.एम. तथा सभ्रान्त नागरिकों को इस कार्यक्रम के बारे में नियमित रूप से जागरूक कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाता है।

10. **जागरूकता कार्यशाला एवं नेटवर्किंग मीटींग का आयोजनः**

कार्यक्रम में शामिल विभिन्न स्तरीय स्टेकहोल्डर्स एवं अन्य समान विचार की संस्थाओं के साथ सेन्ट मेरीज कैथिड्रल, कैण्टोमेन्ट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उपरोक्त विभागों सहित 10 स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लेकर बाल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रम में शामिल बच्चों का ग्राफ

Visitor Comment

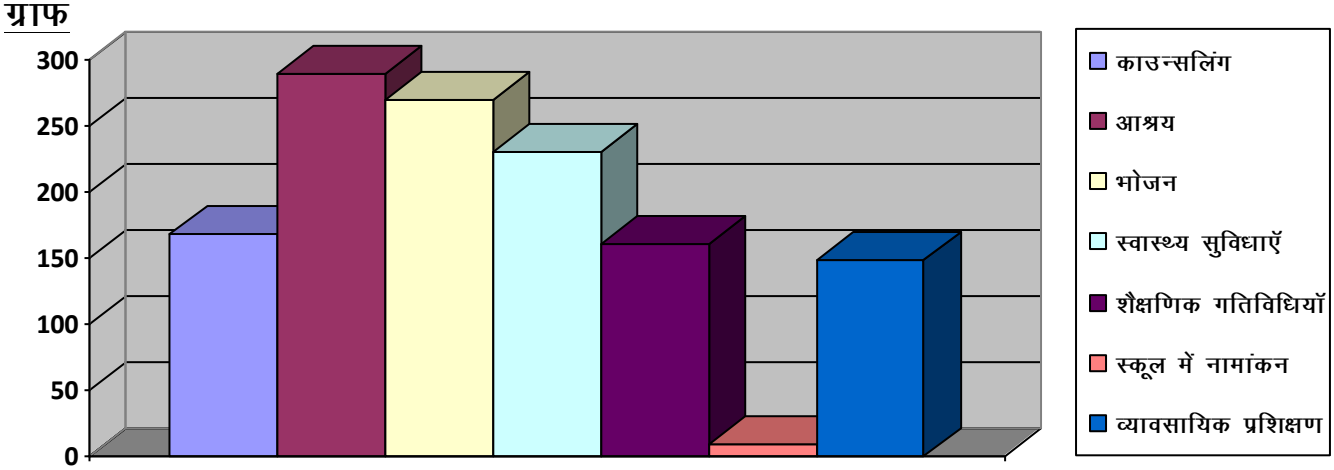

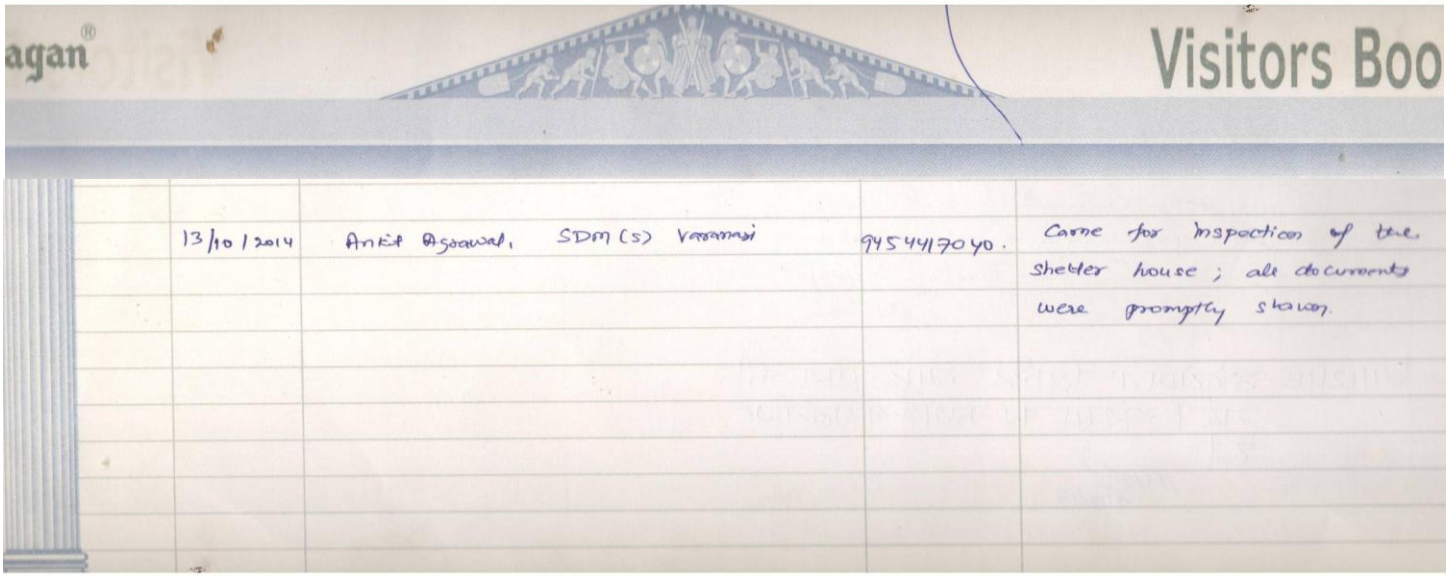

13/10/2014	Ankit Agrawal, SDM (S) Varanasi	9454417040.	Came for inspection of the shelter house; all documents were promptly shown.

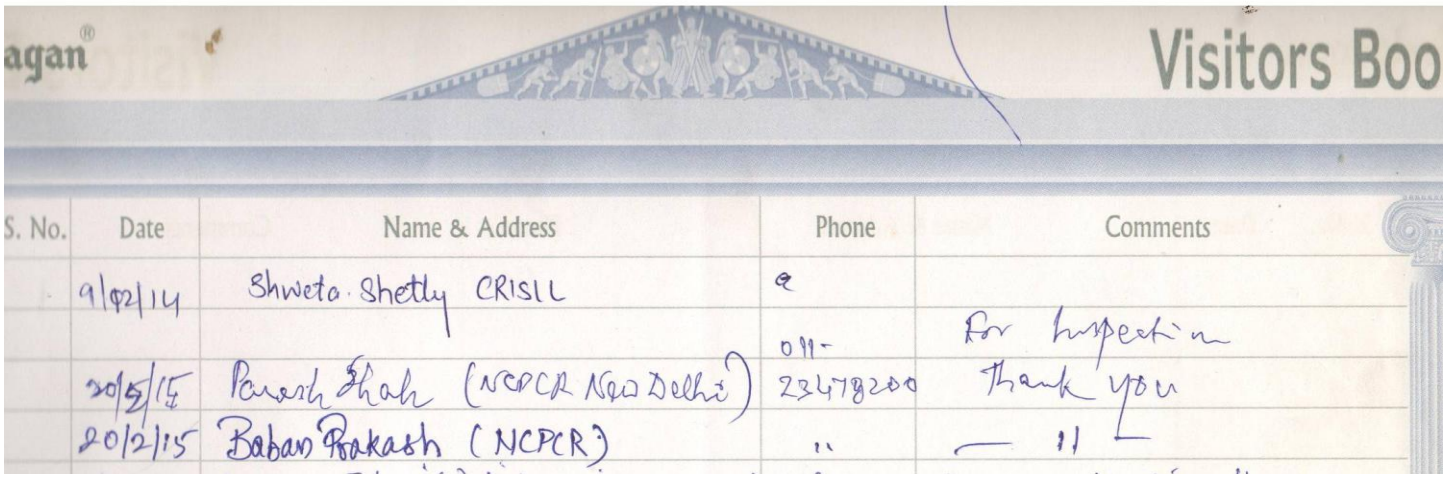

S. No.	Date	Name & Address	Phone	Comments
	9/12/14	Shweta Shetty CRISIL	@	For Inspection
	20/2/15	Paresh Shah (NCPCR New Delhi)	011-23478200	Thank you
	20/2/15	Baban Prakash (NCPCR)	"	— " —